

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)—प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर ।

सामान्य भविष्य निधि से आंशिक अंतिम प्रत्याहरण के लिये आवेदन पत्र ।

(घटना काल से कम से कम चार सप्ताह पूर्व प्रशासन अनुभाग को प्रस्तुत करें)

1. अभिदाता का नाम तथा स्थायी क्रमांक
2. सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या
3. पदनाम
4. वेतन (विशेष वेतन सहित) रूपये
5. नियुक्ति की तिथि
6. सेवा निवृत्ति की तिथि
7. आवेदन की तिथि की जमा शेष
 1. वर्ष का प्रतिशेष रु.
माह 4 / से माह तक की अवधि में –
 2. अंशदान की राशि रूपये
3. अग्रिम के विरुद्ध वापसी की राशि रूपये
4. आहरण की राशि रूपये
5. निवल शेष () रूपये
8. पूर्व अग्रिम/प्रत्याहरण का विवरण :–
 1. की राशि रूपये
2. का माह
(ख) प्रयोजन
(ग) अग्रिम के विरुद्ध वसूली गई राशि रूपये
(घ) अग्रिम की शेष राशि
9. आवेदित राशि रूपये
10. (क) प्रयोजन
(ख) नियम जिसके अंतर्गत आवेदन अधिमान्य है
(ग) यदि प्रत्याहरण संतान की शिक्षा के उपयोग के लिये मांगा गया है तो निम्न लिखित विवरण दिये जायें :–
 1. पुत्र/पुत्री का नाम
2. अध्ययनरत कक्षा तथा संस्थान/कॉलेज का नाम
3. क्या वह देनिक छात्र है अथवा छायावास में रहता है
(घ) यदि प्रत्याहरण परिवार के किसी सदस्य के उपचार के लिए चाहा गया है तो निम्नलिखित विवरण दिये जाएँ :–

1. रोगी का नाम तथा सम्बन्ध
2. अस्पताल/ऑषाधालय/डाक्टर का नाम जिसका इलाज चल रहा है
3. वह वाह्य/अंतरण रोगी है
4. क्या प्रतिपूर्ति स्वीकाग्र है अथवा नहीं
11. आवेदन की आर्थिक परिस्थिति का पूर्ण ब्यौरा जिससे आ.अ.प्रत्या, को उचित ठहराया जा सकें ।
12. मैं प्रमाणित करता हूँ कि :—
(क) आवेदन की तिथि को मैंने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है ।
(ख) मैंने भूखण्ड खरीदने या मकान बनाने के लिए निर्माण आवास एवं आपूर्ति मंत्रालय दिल्ली विकास प्राधिकरण, का अन्य सरकारी श्रोत से कोई पेशागी/प्रत्याहरण नहीं लिया है
(ग) आवेदित प्रत्याहरण की राशि खातें में जमा शेष का $\frac{3}{4}$ से अधिक नहीं है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

दिनांक :—

कार्यालय

अनुभाग.....

दूरभाष क्रमांक.....